रं शिव्यट के अभ्वतंत्र जारी.



## उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला

गावियाबाद

तहसीस वावदन कर

सदद

प्रमाणपत्र क

181400030128938

092193000396

प्रमाणित किया जाता है कि पत्र/पत्री

माता का नरम निवासी

ग्राम नहसील

चिला

श्री वाबुलाल शाह श्री राम चरित्र शाह श्रीमती हेमा देवी

198,प्रकाश नगर,खोडा कॉलोनी

सदर गाजियाबाट

उत्तर प्रदेश राज्य की <u>तेली</u> जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश सोक सेवा अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े बगों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अस्तर्गत मान्यता पास है।

यह भी अमाणित किया जाता है कि श्री बाबूलाल साह पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा)अनुसुचित जानियों, अनुसुचित जनजा**नियों और** अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एंव जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसुचित जातियों, अनुसुचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी॰ सी॰-III , दिनाँक २० अक्टबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है।इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है पास धन कर अधिनियम १९५७ में यथा विहिए ख्रुट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जारी कर्ता केन्द्र: चंघल, वयम जन सेवा केंद्र PRAKASH PRAKASH SINGH D=U पद: चंचल, केन्द्र प्रभारी SINGH OUR REVENUE

स्थान: 14,बार्ड 14,सदर,गाजियाबाद

दिनॉक: 10/01/2019

हस्ताक्षर एंब महर

सक्षम अधिकारी/तहसीलवार डिजिटल हस्ताक्षरित सदर,गाजियाबाद

जारी दिनांक: 09/01/2019

दिनॉक:09/01/2019

वह प्रमाण पत्र इसेक्ट्रॉनिक विनिवरी मिन्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा विविद्ध सिग्नेचर से इस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के विविकृत कमी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेजनाइट http://edistrict.up.nic.in पर इसका पहले आवेदन क० फिर प्रमाणपत्र क० अंकित कर,सत्यापित किया जा सकता है।